राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR**

पत्र संख्या–प0नि0 30–95/2026. 3769
प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)
मुजफ्फरपुर

दिनांक– 15.09.2026

विषयः– पंचायत परिसीमन 2026–राजस्व ग्राम अन्तर्गत नगर निकाय में सम्मिलित हुये EB को परिसीमन ऐप से विलोपित करने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 5073 दिनांक 14.09.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्रखंड–सरैया,मुरौल एवं बोचहाँ के अन्तर्गत कतिपय राजस्व ग्राम का EB नगर निकाय में चले जाने अथवा अन्य कारण से अतिरिक्त EB को आयोग के परिसीमन ऐप से विलोपित किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित है।

ज्ञातव्य हो कि आयोग के पत्रांक–3691 दिनांक 09.09.2026 के द्वारा राजस्व ग्राम ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में अवस्थित होने संबंधी सत्यापन हेतु पत्र के साथ प्रपत्र–क,ख,ग संलग्न करते हुए संबंधित जिला को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही आयोग के पोर्टल पर भी उक्त प्रपत्रों को अपडेट करके आयोग को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में निदेश दिया गया है। इस संबंध में DPRO/DIO/IT Manager/BDO/तकनीकी सहायक सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि प्रखंड स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी स्तर से समस्याओं की गंभीरता से अभिरूचि के साथ समीक्षा किये जाने की आवश्यकता हैं। पंचायत का परिसीमन हो अथवा नगर निकायो का गठन/क्षेत्र–विस्तार हो सभी–प्रकार के राजस्व ग्राम के आंकड़े राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं,जो नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना अन्तर्गत ग्राम पंचायत से नगर निकाय में सम्मिलित किये गये हैं वो सभी आंकड़ा जिला स्तर पर उपलब्ध हैं।

अतः अनुरोध हैं कि आयोग को भेजने के पूर्व अपने स्तर से गंभीरता से समीक्षा करके समस्याओं का निराकरण किया जाय एवं विशेष परिस्थिति में ही आयोग को मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

15/9/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त